

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/858 दिनांक : 22 नवम्बर, 2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के मध्यनजर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नर्सिंग स्टाफ को कार्य व्यवस्था के तहत लगाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (Covid-19) के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुये प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आपके अधीन संचालित निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्स श्रेणी द्वितीय (नवनियुक्त एवं यूटीबी कार्मिकों सहित) को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर एवं राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में कार्य व्यवस्था हेतु लगाने का श्रम करावें :-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	चिकित्सालय जहां नर्स द्वितीय लगाये जाने हैं।	कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने वाले कार्मिकों की संख्या
1	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जयपुरिया चिकित्सालय	20
2	जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	25
3	जनाना चिकित्सालय, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	15
4	महिला चिकित्सालय, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	15
5	मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	20
6	श्वसन रोग संस्थान, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	10
7	सैटेलाईट चिकित्साल, बनीपार्क, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	05
8	सैटेलाईट चिकित्सालय, सेठी कालोनी	आरयूएचएस चिकि.	05
9	सैटेलाईट चिकित्सालय, कांवटिया, जयपुर	आरयूएचएस चिकि.	05

उक्त नर्स श्रेणी द्वितीय के अतिरिक्त आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत 6 नर्स प्रथम को भी जयपुरिया चिकि, जयपुर में कार्य व्यवस्था के तहत लगाने के आदेश जारी करने का श्रम करावें। साथ ही उक्त कार्मिकों को आज ही कार्यमुक्त करते हुये कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हुये रिपोर्ट ई-मेल आई.डी. add4ng@gmail.com पर भिजवायें। कृपया इसे सर्वाच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 22 नवम्बर, 2020

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/858

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर।
6. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर क्लम, मुख्यालय संबंधित को तुरन्त प्रभाव से ई-मेल करते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर